राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 45 | जुलाई – सितम्बर 2013 | सीमित प्रसार के लिए

घटते किसान, बढ़ते कृषि मजदूर

संपादकीय

भारत की जनगणना 2011 के रोजगार संबंधित आंकडे जारी हो गये हैं। इन आंकड़ों ने पिछले दो दशकों में कृषि तथा किसानों की बदत्तर हो रही स्थिति को ही उजागर किया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में बढ़ते लागत खर्च, आयात–निर्यात पर छूट से विकसित देशों के कृषि उत्पादों से सीधे मुकाबला, महंगे एवं नकली कीटनाशकों की मार तथा उद्योगों, खाद्यानों एवं शहरीकरण के लिये किसानों से छीनी जा रही जमीनों ने कुल मिलाकर वो स्थिति पैदा की है कि देश भर में किसान खेती छोड़ कर खेतों में ही मज़दूर बन रहे हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जहां किसानों की संख्या में कमी हुई है वहीं देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृषि पर निर्भर मजदूरों की संख्या अपने खेत पर खेती कर रहे किसानों से अधिक हो गई है। देश में किसानों की कुल संख्या वर्ष 2001 में 12.73 करोड़ थी जो 2011 में कम हो कर 11.87 करोड़ हो गई है। जबकि इसी अवधि में कृषि मज़दूरों की संख्या 2001 में 10.66 करोड़ से बढ़ कर 2011 में 14.43 करोड़ हो गई है। देश के कुल कामगारों में कृषि मज़दूरों का प्रतिशत 2001 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 30 प्रतिशत हो गया है। जाहिर है छोटे एवं सीमांत किसान खेती छोड़ रहे हैं और खेत मज़दूर बनने को विवश हो रहे हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान सहित पूरे देश में जारी है।

इन आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खेती से विस्थापित हो रहे किसानों को कृषि क्षेत्र में ही कार्य करना पड़ता है क्योंकि देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले दशक में तीव्र वृद्धि के बावजूद रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं।

इन आंकड़ों ने इस मिथक को भी तोड़ा है कि मनरेगा के कारण गांवों में कृषि मज़दूरों की कमी हो गई है। ये आंकड़ें बताते हैं कि देश में कृषि मज़दूरों की संख्या बढ़ी है। जाहिर है कोई भी मज़दूर केवल मनरेगा के 100 दिन के रोजगार (जो कहीं भी पूरे 100 दिन मिलते नहीं हैं) के भरोसे पूरा वर्ष काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता तथा यदि गांवों में रहना है तो उसे कृषि मजदूरी ही करनी होगी क्योंकि गैर कृषि रोजगार नहीं बढ़े हैं।

राजस्थान के आंकड़ें भी यही स्थिति दर्शाते हैं। बजट समाचार के इस अंक में एक आलेख राजस्थान में जनगणना के रोजगार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए दिया गया है। इसके अलावा इस अंक में भारत सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा कानून के मुख्य प्रावधानों एवं कमियों पर भी आलेख दिया गया है। महत्वपूर्ण है कि देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में देशभर में जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी रूप देने की मांग हो रही है। पिछले वर्ष आंध्रप्रदेश में इस आशय का कानून पारित हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी 2013 के बजट भाषण में राज्य में यह कानून बनाने का वादा किया था। हाल ही में राज्य सरकार ने एक विधेयक का प्रारूप जारी किया है। परन्तु राज्य सरकार के प्रारूप में सारा जोर सरकार द्वारा किये जा रहे खर्च में से अधिक से अधिक खर्च इन दो उपयोजनाओं में दर्शाने पर है। जबकि इन उपयोजनाओं का उद्देश्य इन दो वंचित समूहों के लिये अलग से आयोजना बनाने का है। केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने भी अनुसूचित जाति उपयोजना को कानून बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। इन दोनों प्रारूपों की समीक्षा करते हुए भी एक आलेख इस अंक में शामिल किया गया है। आशा है कि बजट समाचार का यह अंक आपको उपयोगी लगेगा। कृपया अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करायें।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना पर कानून बनाने का सरकार का प्रयास

राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने भी अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जनता के बीच एक विकासात्मक भेद है तथा उसके लिये कोई उचित रणनीतिक उपाय करने की आवश्यकता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारें पिछले तीस वर्ष से अधिक समय से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास कर रही हैं। लेकिन फिर भी केन्द्र एवं राज्य स्तर पर दोनों उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में असफलता ही हाथ लगी है। कानून के अभाव में उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में असफलता के लिये सरकार की जवाबदेहिता तय नहीं हो पाई है।

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं पर आवंटित बजट एवं खर्च के पिछले कई वर्षो के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के हितों से जुडे मुद्दों पर कार्य कर रहे जन संगठन तथा बजट पर कार्य करने वाली संस्थाएँ पिछले कई वर्षों से दोनों उपयोजनाओं पर कानून निर्माण करने की मांग करते रहे हैं।

राज्य स्तर पर यदि देखा जाये तो देश में केवल आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार ने दोनों उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के लिये कानून बनाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हांलाकि वर्ष 2012 के अंतिम त्रैमास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कानून का निर्माण किया है लेकिन उस कानून से जनसंगठन, संस्थाएँ पूरी तरह सहमत नहीं है तथा कानून में रही कमजोरियों पर निरंतर सुझाव प्रेषित किये जा रहे हैं।

शेष पृष्ठ 2 पर

खाद्य सुरक्षा गारंटी अध्यादेश पारित

राष्ट्रपति द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को मजूंरी दे दी गई है, जिसके द्वारा सरकार जनता के लिये पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश की जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने 1–3 रूपये प्रति किलो की कीमत पर दिया जायेगा। इस विधेयक के माध्यम से गरीब व्यक्ति महिलाओं तथा बच्चों के भोजन की जरूरतों की पूर्ती की जायेगी।

पात्रता

- प्रत्येक राज्य की 50 प्रतिशत शहरी आबादी तथा 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का फैसला केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
- लाभान्वितों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की होगी।
- देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी व 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को हर माह तीन रूपए, दो रूपए, एक रूपए प्रति किलो की दर से चावल, गेंहू और मोटा अनाज पाने का अधिकार होगा।
- 1.2 अरब आबादी के दो तिहाई भाग को लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत सब्सिडी वाला अनाज पाने का अधिकार दिया जायेगा।
- अति गरीब परिवार को हर माह अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज दिया जायेगा।

बच्चों की पात्रता

- 6 माह से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए स्थानीय आंगनबाड़ी के जरिए मुफ्त उम्र आधारित आहार देने कि गारंटी।
- 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आठवीं कक्षा तक स्थानीय निकाय, सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलो में रोजाना (रविवार या छुट्टी के दिन छोड़कर) मुफ्त में मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ स्तनपान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए प्रावधान

- महिलाओं के लिए 6 हजार रूपये किश्तो में (गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक) मातृत्व लाभ के तौर पर रखा गया है।
- निर्धारित मापदंडों के अनुसार गर्भवति तथा धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाएगा।
- राशन कार्ड जारी करने के लिए 18 साल या अधिक की महिला घर की मुखिया होगी। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे बड़ा पुरूष सदस्य घर का मुखिया होगा।

खाद्यान्नों की ढुलाई एवं रख रखाव

- राज्य सरकार की सहायता हेतु केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की राज्य से बाहर ढुलाई और रख–रखाब की व्यवस्था करेगी। जिसके लिए मानक विकसित किये जाएंगे।

पारदर्शिता तथा जवाबदेही

कानून में दो स्तरीय शिकायत निवारण ढ़ांचे का उल्लेख है। इसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) और राज्य खाद्य आयोग शामिल हैं। राज्य सरकारों को अपना अंदरूनी शिकायत तंत्र भी बनाना होगा जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति या कानून में उल्लेखित किसी और तरह का तंत्र शामिल है।

पारदर्शिता के प्रावधान

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी दस्तावेजों को आम जनता के परीक्षण हेतु सार्वजनिक रखना। तथा अन्य योजनाओं का निरंतर सामाजिक लेखा परीक्षण।
- पारदर्शिता हेतु सूचना तथा संचार साधनों का प्रयोग किया जायेगा।
- राज्य, जिला एवं ब्लॉक के निरीक्षण हेतु निगरानी समिति की स्थापना होगी।

खाद्य आयोग

- कानून में राज्य खाद्य आयोगों के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य एवं एक सदस्य सचिव होगा (इसमें कम से कम दो महिलाएं और एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे)।
- खाद्य आयोगों का मुख्य काम अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन का रहेगा। वह राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों को सलाह देंगे और पात्रता उल्लंधन के मामलों में पूछताछ कर सकेंगे (स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत आने पर और उन्हें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजन 1908 के तहत किसी मुकदमें की सुनवाई करने के सिविल कोर्ट के अधिकार भी होंगे।)

जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी

- राज्य तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना (राज्य सरकार द्वारा)
- राज्य सरकार हर जिले में डीजीआरओ नियुक्त करेगी। जो शिकायतों को सुनेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई करेगा।
- यदि एक शिकायतकर्ता (या अधिकारी या सरकारी अथॉरिटी जिसके खिलाफ डीजीआरओ ने आदेश पारित किया है) संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग के सामने अपील कर सकता है।

शेष पृष्ठ 3 पर

घटते किसान, बढ़ते कृषि मजदूर

किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा काफी हद तक वहां की कार्यशील जनसंख्या, श्रम शक्ति का प्रकार, वितरण एवं प्रारुप पर निर्भर करता है। प्रस्तुत आलेख में राजस्थान में श्रम शक्ति जनसंख्या, इसका प्रकार, वर्गीकरण एवं इसका प्रारुप प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जबकि जनसंख्या के लिहाज से 8वां बड़ा राज्य है। श्रमशक्ति के लिहाज से देखा जाये तो राज्य में श्रमशक्ति जनसंख्या का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर से अधिक है। गत दशक के दौरान राज्य की जनसंख्या करीब 21 प्रतिशत बढी है। वर्ष 2001 में राज्य की जनसंख्या करीब 565 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 686 लाख हो गयी है। जबकि श्रमशक्ति जनसंख्या में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में 2001 में कुल श्रमशक्ति जनसंख्या 237.67 लाख थी, जो 2011 में बढकर 298.8 लाख हो गयी है। जिसमें मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक दोनों को शामिल किया गया है।

तालिका सं. : 1

राज्य में कार्यशील जनसंख्या (लाख में) एवं काम में भाग लेने की दर (प्रतिशत में)

कार्यशील जनसंख्या	2001			2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	237.67 (42.1)	198.56 (45.9)	39.10 (29.6)	298.86 (43.6)	243.85 (47.3)	55.01 (32.3)
पुरुष	146.96 (50.0)	113.80 (50.7)	33.16 (47.4)	182.97 (51.5)	137.76 (51.7)	45.21 (50.8)
महिला	90.71 (33.5)	84.77 (40.6)	5.94 (9.5)	115.89 (35.1)	106.09 (42.7)	9.80 (12.0)

स्रोत : जनगणना, 2011

नोट : ( ) में संबंधित जनसंख्या में श्रमशक्ति जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका सं.–1 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में श्रमशक्ति जनसंख्या का प्रतिशत करीब 43.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि 2001 में यह 42 प्रतिशत था। इसे काम में भाग लेने की दर (Work Participation Rate) कहा जाता है। अतः 2001 से 2011 की समयावधि में राज्य में कार्यशील जनसंख्या करीब 1.5 प्रतिशत बिन्दु बढी है। वहीं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की तुलना करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भागीदारी दर अधिक है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के मुकाबले कार्य में भागीदारी दर दोनों महिला तथा पुरुषों में अधिक है। हांलांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की काम में भाग लेने की दर के मुकाबले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की काम में भाग लेने की दर बहुत कम है।

तालिका सं. : 2

राज्य में श्रमशक्ति जनसंख्या में मुख्य एवं सीमांत श्रमिक (लाख में) एवं इनका प्रतिशत

मद / वर्ष		2001			2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
मुख्य श्रमिक	व्यक्ति	**174.37 (73.4)**	**139.62 (70.3)**	**34.75 (88.9)**	**210.58 (70.5)**	**161.73 (66.3)**	**48.85 (88.8)**
	पुरुष	128.41 (87.4)	97.72 (85.90)	30.70 (92.6)	152.43 (83.3)	110.70 (80.4)	41.73 (92.3)
	महिला	45.96 (50.7)	41.91 (49.4)	4.05 (68.2)	58.14 (50.2)	51.03 (48.1)	7.11 (72.6)
सीमांत श्रमिक	व्यक्ति	**63.30 (26.6)**	**58.94 (29.7)**	**4.35 (11.1)**	**88.28 (29.5)**	**82.12 (33.7)**	**6.16 (11.2)**
	पुरुष	18.54 (12.6)	16.08 (14.1)	2.46 (7.4)	30.53 (16.7)	27.05 (19.6)	3.48 (7.7)
	महिला	44.75 (49.3)	42.86 (50.6)	1.89 (31.8)	57.75 (49.8)	55.06 (51.9)	2.69 (27.4)

स्रोत : जनगणना, 2011

नोट : ( ) में श्रमशक्ति जनसंख्या से प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका सं.– 2 में राज्य की कुल श्रमशक्ति में मुख्य एवं सीमांत श्रमिकों की जनसंख्या एवं इनके प्रतिशत का विवरण दिया गया है। मुख्य श्रमिक संबंधित आर्थिक गतिविधियों में 6 माह या इससे अधिक अवधि के लिये भाग लेते हैं जबकि सीमांत श्रमिक संबंधित आर्थिक गतिविधियों में 6 माह से कम अवधि के लिये भाग लेते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल श्रमिकों में 70 प्रतिशत से अधिक मुख्य श्रमिक हैं। जबकि करीब 30 प्रतिशत से भी कम सीमांत श्रमिक हैं। मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में अधिक है जबकि सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसके अलावा कुल महिला कार्यबल में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत मुख्य श्रमिकों के मुकाबले अधिक है जबकि पुरुष कार्यबल में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक महिलायें सीमांत श्रमिकों के रुप में कार्य करती हैं। इसके अलावा चैंकाने वाली बात यह है कि राज्य में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत धीरे–धीरे बढ रहा है। 2001 में राज्य के कुल कार्यबल में कुल 26.6 प्रतिशत सीमांत श्रमिक थे, जो 2011 में बढकर 29.5 प्रतिशत हो गये हैं। इसके साथ ही राज्य में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत (29.5) राष्ट्रीय औसत प्रतिशत (24.8) से भी अधिक है। अतः राज्य की श्रमशक्ति में सीमांत श्रमिक बढ़ रहे हैं।

तालिका सं. : 3

राज्य की श्रमशक्ति जनसंख्या का क्षेत्रवार वर्गीकरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र / वर्ष		2001			2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
खेतीहर किसान	व्यक्ति	**55.3**	**65.1**	**5.6**	**45.6**	**54.8**	**4.7**
	पुरुष	48.1	60.9	4.0	41.1	53.4	3.7
	महिला	67.0	70.7	14.7	52.6	56.6	9.4
कृषि मजदूर	व्यक्ति	**10.6**	**12.3**	**2.2**	**16.5**	**19.4**	**3.7**
	पुरुष	7.2	8.9	1.4	11.7	14.6	2.6
	महिला	16.2	16.8	6.9	24.2	25.6	8.8
पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत श्रमिक	व्यक्ति	**2.9**	**2.2**	**5.9**	**2.4**	**1.8**	**5.0**
	पुरुष	2.9	2.4	4.5	2.4	1.8	4.2
	महिला	2.8	2.1	13.6	2.5	1.9	8.8
अन्य श्रमिक	व्यक्ति	**31.2**	**20.4**	**86.4**	**35.5**	**24.0**	**86.5**
	पुरुष	41.9	27.9	90.1	44.9	30.2	89.5
	महिला	14.0	10.4	64.8	20.7	15.8	73.0

स्रोतः जनगणना प्रतिवेदन, 2011

नोट : () राज्य की कुल श्रमशक्ति जनसंख्या का

उपरोक्त तालिका में राज्य में कार्यबल जनसंख्या का क्षेत्रवार विवरण दर्शाया गया है। जिसके अनुसार राज्य की कार्यबल जनसंख्या में सर्वाधिक किसान हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में करीब 55.3 प्रतिशत किसान थे, जो 2011 में कम होकर 45.6 प्रतिशत हो गये है। जबकि इसी दौरान खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ा है। 2001 में राज्य की कुल कार्यबल जनसंख्या में करीब 10.6 प्रतिशत खेतीहर मजदूर थे, जो 2011 में बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गये हैं। अतः राज्य की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल कार्यबल में 60 प्रतिशत से अधिक कृषक एवं खेतीहर मजदूर हैं। इसके अलावा पारिवारिक उद्यागों में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 2001 में 2.9 था, जो 2011 में कुछ कम होकर 2.4 हो गया है। इसके विपरीत उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा शेष कार्यों, जिसमें खनन, पशुपालन, मछलीपालन, परिवहन, संचार, निर्माण तथा व्यापार एवं वाणिज्य आदि में संलग्न लोगों का प्रतिशत 2011 में बढ़ा है। 2001 में इस प्रकार के कार्यों में कुल कार्यबल की करीब 31 प्रतिशत जनसंख्या शामिल थी, जो 2011 में बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गयी है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में 60 फीसदी से अधिक आज भी किसान एवं खेतीहर मजदूर के रुप में कार्य कर रहे हैं। जिसमें भी खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि राज्य की श्रमशक्ति में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। यह प्रवृति ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुष दोनों में देखी जा सकती है। अतः इससे निबटने के लिये सरकार को राज्य में रोजगार के स्थायी स्रोतों एवं अवसरों में वृद्धि करनी चाहिये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति..... पृष्ठ 1 का शेष

राजस्थान के परिदृश्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मुद्दों पर कार्य करने वाले जनसंगठन, संस्थाएँ लम्बे समय से दोनो उपयोजनाओं पर कानून निर्माण की बात करते रहे हैं। बजट समूहों एवं जन संगठनों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने दोनों उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की जरूरत स्वीकार की तथा मई 2013 में 'अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजन ड्राफ्ट बिल 2013' तैयार किया। इस बिल पर सरकार द्वारा आम जनता, जनसंगठनों तथा संस्थाओं के सुझावों को एकत्र किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कानून बनाने की मांग को स्वीकार करते हुये केन्द्र सरकार ने 6 जून 2013 को अनुसूचित जाति के लिये 'अनुसूचित जाति उपयोजना ड्राफ्ट बिल 2013' तैयार किया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा अभी इस ड्राफ्ट बिल पर जनसंगठनों एवं आम आदमी के विचार लिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार 'अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर ड्राफ्ट बिल तैयार करने की बात कह रही है।

हांलाकि केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये ड्राफ्ट बिल तैयार किया है लेकिन उक्त सरकारों द्वारा तैयार ड्राफ्ट बिल से उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन का सपना साकार होता नहीं दिख रहा। सरकार द्वारा तैयार ड्राफ्ट बिलों से सरकार / विभाग / मंत्रालयों पर सीधे जिम्मेवारी तय नहीं हो पा रही है तथा दूसरी तरफ कानून बनाने की भरपाई मात्र की जा रही है। इसलिये जन संगठन एवं बजट समूह सरकार द्वारा तैयार इन ड्राफ्ट बिलों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तथा वे निम्न बिन्दुओं को कानून में सम्मिलित करने पर जोर दे रहे हैं।

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के आयोजना, आवंटन एवं बजट खर्च से संबंधित एक संस्थानिक ढांचा केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर होना चाहिये।
- केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल आयोजना परिव्यय में से विभागों / मंत्रालयों को राशि आवंटित की जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की राशि विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को विकास समिति की सहमति से स्वीकृत की जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आवंटित राशि के बाबत निर्धारित विकास समिति एवं विभाग / मंत्रालय में एम.ओ.यू. करार होना चाहिये।
- केन्द्र / राज्य स्तर पर एक विशिष्ट वित्त सचिव नियुक्त हो, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वित्त सचिव (उपयोजना) के रूप में बजट से संबंधित संपूर्ण कार्य करे।
- उक्त वित्त सचिव, नोड़ल एजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करे।
- नोड़ल एजेंसी केवल कुछ योजनाओं का नहीं अपितु उपायोजनाओं के संपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों से संबंधित योजनाओं का नवीनीकरण किया जाये।
- जिन विभागों एवं योजनाओं में आवंटन एवं व्यय उपयोजनाओं के नियमानुसार नहीं हो रहा, वहां उस धन को अन्य विभागों एवं योजनाओं को आवंटित करने का कार्य नोड़ल एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिये।
- दोनों उपयोजनाओं पर आवंटित राशि किन्ही भी परिस्थितियों में लैप्स नहीं हो।
- उपयोजनाओं के अंतर्गत संचालित योजना व्यक्तिक, पारिवारिक लाभ तथा सामुदायिक विकास करने से संबंधित होनी चाहिये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की राशि केवल सीधे लाभ देने वाली योजनाओं में ही आवंटन की जाये तथा अन्य प्रकार की सामान्य योजनाओं में उपयोजनाओं की राशि का आवंटन नही किया जाये।

ग्रामीण विकास की राज्य बजट में स्थिति

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2013–14 के लिये कुल 94,871.95 करोड़ रू. व्यय करने का अनुमान किया गया है। चालू वर्ष में सरकार द्वारा राज्य बजट से ग्रामीण विकास के लिये कुल 5507.91 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु आवंटन में ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (**2501**), ग्राम रोजगार (**2505**), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (**2515**), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (**2575**), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय (**4515**), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (**4575**) के अंतर्गत जारी राशि को सम्मिलित किया गया है।

बार्क द्वारा पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण विकास के बजट का निरंतर विश्लेषण किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य बजट से ग्रामीण विकास को आवंटन की जानकारी का विवरण इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आलेख के शुरू में ग्रामीण विकास हेतु चालू वर्ष में आवंटित कुल राशि का पिछले तीन वर्षों से तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिये किस बजट शीर्ष में कुल कितनी राशि तथा पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये किस मद में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, इसका विवरण भी इस लेख में प्रस्तुत है।

राज्य बजट से ग्रामीण विकास हेतु आवंटन

राशि करोड में

क्र. सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास का बजट	प्रतिशत
1	2010–11 वास्तविक	57703.32	2592.18	4.49 %
2	2011–12 वास्तविक	65372.08	4016.46	6.14 %
3	2012–13 संशोधित	86512.80	5812.46	6.72 %
4	2013–14 अनुमानित	94871.95	5507.91	5.81 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिये राज्य बजट से पिछले वर्षों में लगभग 4 से 7 प्रतिशत के बीच राशि आवंटन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास के लिए कुल 5507.91 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु प्रस्तावित की गई है यह राशि राज्य के कुल बजट की लगभग 5.81 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 से 2013 तक के वर्षों में ग्रामीण विकास के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की गई है लेकिन वर्तमान वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास के बजट में पिछले 2 वर्षों की तुलना में कटौती देखने में आई है।

ग्रामीण विकास को आवंटित राशि का विवरण

राशि करोड में

क्र.सं.	बजट शीर्ष	आयो. भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रा.यो.	ग्रामीण विकास बजट
1	2501	-	66.10	-	66.10
2	2505	-	477.87	-	477.87
3	2515	1443.05	2152.59	600.00	4195.64
4	2575	-	0.50	-	0.50
5	4515	-	443.10	-	443.10
6	4575	-	324.70	-	324.70
7	कुल आवंटन	1443.05 (26.20%)	3464.87 (62.91%)	600.00 (10.89%)	5507.91 (100 %)

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

चालू वर्ष में ग्रामीण विकास के लिये आवंटित कुल बजट में से सर्वाधिक 62.91 प्रतिशत लगभग 3464.87 करोड़ रू. आयोजना मद में आवंटित किये गये हैं। गैर आयोजना मद में ग्रामीण विकास के कुल बजट का 26.20 प्रतिशत लगभग 1443.05 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है। इस वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये ग्रामीण विकास के कुल बजट का 10.89 प्रतिशत लगभग 600 करोड रू. की राशि खर्च हेतु प्रस्तावित की गई है।

पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

राशि करोड में

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2011–12 वास्तविक	2012–13 संशोधित	2013–14 अनुमानित	प्रतिशत
1	2501	**ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**	**75.00**	**90.31**	**66.10**	**1.20 %**
1-1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	18.64	15.00	0.00	
1-2		बंजर भूमि विकास	35.96	47.00	45.00	
1-3		स्वरोजगार कार्यक्रम	20.39	28.09	21.10	
2	2505	**ग्राम रोजगार**	**362.78**	**470.89**	**477.87**	**8.68 %**
2-1		राष्ट्रीय कार्यक्रम (राज्यांश) (इंदिरा आवास की राशि शामिल)	162.79	121.00	128.00	
2-2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (राज्यांश)	200.00	349.89	349.87	
3	2515	**अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम** (बीपीएल आवास की राशि शामिल)	**3201.60**	**4556.41**	**4195.64**	**76.17 %**
4	2575	**अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम**	**0.42**	**0.75**	**0.50**	**0.01 %**
4-1		पिछडे क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.04	0.35	0.50	
4-2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.38	0.40	0.00	
5	4515	**अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**	**228.28**	**474.50**	**443.10**	**8.04 %**
6	4575	**अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय**	**148.50**	**219.60**	**324.70**	**5.90 %**
6-1		डांग जिले	9.81	37.00	49.50	
6-2		पिछड़े क्षेत्र	25.00	45.00	110.00	
6-3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	113.69	137.60	165.20	
योग			**4016.58**	**5812.46**	**5507.91**	**100 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये राज्य बजट से मुख्य शीर्षवार आवंटन को सहजता से समझा जा सकता है। वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास हेतु कुल आवंटन का 1.20 प्रतिशत लगभग 66.10 करोड़ रू. ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये हैं, जिसमें मरूस्थल विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास एवं स्वरोजगार कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल बजट का 8.68 प्रतिशत लगभग 477.87 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं महानरेगा योजना में दिया जा रहा राज्यांश शामिल है।

चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के कुल बजट का सर्वाधिक 76.17 प्रतिशत लगभग 4195.64 करोड रू. का आवंटन अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जिसमें राज्य एंव केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

पूंजीगत परिव्यय से तात्पर्य – राज्य सरकार के पूंजीगत परिव्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जिससे सामान्यतः किसी स्थाई सम्पत्ति का निर्माण होता है अथवा सरकार की अदायगी का बोझ कम होता है।

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कुल बजट का 8.04 प्रतिशत लगभग 443.10 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कुल बजट का केवल 0.01 प्रतिशत लगभग 50 लाख रू. का आवंटन किया गया है तथा अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट का 5.90 प्रतिशत लगभग 324.70 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें मेवात, डांग एवं सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय की राशि को सम्मिलित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा..... पृष्ठ 1 का शेष

दंड और मुआवजा

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की अनुपालना न करने पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी पर 5000 रू. तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कानून में किया गया है।
- केन्द्र सरकार के कहे अनुसार, यदि पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में अनाज या आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार को निर्धारित खाद्य सुरक्षा भत्ता उन्हें देना होगा।

पीडीएस सुधार

विधेयक के अध्याय 5 में कहा गया है, कि केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न पीडीएस सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें घर–घर अनाज मुहैया कराने, आईसीटी आवेदन और कम्प्यूटरीकरण, पात्र हितग्राहियों की विशिष्ट पहचान के लिए आधार (यूआईडी) के इस्तेमाल, रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता, उचित मूल्य की दुकानों को खोलने में सार्वजनिक संस्थाओं का निकायों को प्राथमिकता देना, उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिलाओं को देने, पीडीएस के तहत विविध उपभोक्ता सामग्री मुहैया कराना और कैश ट्रांसफर, फूड कूपन या अन्य योजनाओं के तहत अनाज की पात्रता निर्धारित करने वाली योजनाएं शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में रही कमीयां

- खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की कोई निर्धारित तिथि नहीं दी गई है।
- खाद्य सुरक्षा कानून में दाल तथा खाद्य तेल को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिससे बच्चों के लिए प्रोटीन तथा वसा की पूर्ति नहीं हो पाएगी।
- मातृत्व लाभ को केवल दो बच्चों तक सीमित किया गया है। ICDS स्तर पर तैयार खाद्य पोषाहार स्वयं सहायता समूह के स्थान पर ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- कानून में सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था नहीं कि गयी है जिससे निःसहाय, बेघर तथा कमजोर वर्ग के लिये भोजन की सुनिश्चिता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है।
- कनून में पीडीएस अधिकारों के लिए पात्र परिवारों की पहचान (प्राथमिकता प्राप्त या अंत्योदय) के लिये कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण/शहरी आबादी के अनुपात के हिसाब से केंद्र सरकार पीडीएस का राज्यव्यापी स्वरूप तय करेगी। उसके बाद जनगणना के आधार पर पात्र व्यक्तियों की सख्या निर्धारित की जायेगी।
- शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण जिला स्तर पर किया गया है लेकिन जिसकी मांग पंचायत तथा ग्राम स्तर से की गई थी।
- इस विधेयक में किसानों के लिये निश्चित रोजगार, उत्पादन वृद्धि तथा न्यूनतम मजदूरी दर पर खाद्यानों की विकेन्द्रीत प्राप्ति तथा संग्रहण को शामिल नहीं किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सार्वभौमिकरण के स्थान पर केवल 67 प्रतिशत जनता को सब्सिडी वाला अनाज देने का प्रवाधान है।
- केवल 2.5 करोड़ लोगों को अन्तोदय अन्नपूर्णा योजना में सम्मिलित किया गया है जो कुल जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत है।
- इंडियान कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 14 किलो अनाज 800 ग्राम तेल और 1/2 किलो दाल हर माह जरूरत होती है, सरकार इस एवज में केवल 5 किलो अनाज देगी। सर्वोच्च न्यायलय ने यह निर्देश दिया है कि हर परिवार (औसत 5 सदस्य) को 35 किलो राशन का हक है। इस तरह एक सदस्य को 7 किलो राशन हर माह पाने का हक है परंतु कानून मे इसे 2 किलो कम किया जा रहा है।

राज्य बजट 2013–14 : शहरी निकायों को आवंटन

बजट समाचार के पिछले अंक में हमने स्थानीय निकायों को आवंटित कुल राशि तथा पंचायत निकायों को आवंटित राशि की विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। इसी क्रम में बजट समाचार के इस लेख के माध्यम से हमने शहरी स्थानीय निकायों को राज्य बजट से आवंटन की जानकारी देने का प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने मार्च माह में वित्तीय वर्ष 2013–14 का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कुल 94871.95 करोड़ रू. व्यय किये जाने का अनुमान किया गया है, जिसमें स्थानीय निकायों के लिये कुल 17787.35 करोड़ रू. चालू वर्ष में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों को आवंटित इस राशि में से पंचायतों एवं शहरी निकायों को क्रमशः 15289.65 करोड़ रू. तथा 2497.70 करोड़ रू. व्यय हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

सारणी संख्या 1 में पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शहरी निकायों को आवंटित राशि का विवरण दिया गया है जिसके अध्ययन से शहरी निकायों के वार्षिक वित्तीय आवंटन की दर को समझा जा सकता है।

सारणी संख्या – 1
शहरी निकायों को राज्य बजट से राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	शहरी निकाय को आवंटन	प्रतिशत (%)
1	2010–11 अनुमानित	57090.29	1414.56	2.48 %
2	2011–12 अनुमानित	63998.82	1421.26	2.22 %
3	2012–13 अनुमानित	76675.25	1635.25	2.13 %
4	2013–14 अनुमानित	**94871.95**	**2497.70**	**2.63 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

सारणी संख्या 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है, कि वर्तमान वर्ष 2013–14 में सरकार ने अपने कुल राज्य बजट से 2.63 प्रतिशत लगभग 2497.70 करोड़ रू. स्थानीय शहरी निकायों को खर्च हेतू प्रस्तावित किये हैं। यदि पिछले वर्षों में शहरी निकायों को आवंटित कुल बजट पर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट होगा, कि वर्ष 2010–11 से वर्तमान वर्ष 2013–14 तक हर वर्ष शहरी निकायों को कुल राज्य बजट का लगभग 2 से 3 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया है। वर्ष 2010–11 में कुल राज्य बजट का 2.48 प्रतिशत, 2011–12 में 2.22 प्रतिशत एवं 2012–13 में 2.13 प्रतिशत राशि आवंटन शहरी निकायों को किया गया है। वर्तमान वर्ष 2013–14 में राज्य बजट से स्थानीय शहरी निकायों को पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक 3.68 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया है।

सारणी संख्या –2
राजस्व आय एवं शहरी निकायों को आवंटन की तुलनात्मक स्थिति

	कुल राजस्व आय से शहरी आवंटन का %	कुल कर राजस्व से शहरी आवंटन का %	राज्य के स्वयं करों से शहरी आवंटन का %
2010-11	3.08 %	4.21 %	6.81 %
2011-12	2.49 %	3.52 %	5.60 %
2012-13	2.39 %	3.46 %	5.41 %
2013-14	3.23 %	4.59 %	7.33 %

उपरोक्त सभी मदों से शहरी निकायों के राशि आवंटन की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010–11 के बाद शहरी निकायों के राशि आवंटन में एक से दो प्रतिशत तक की कमी देखने में आई है। वर्ष 2012 एवं 2013 में शहरी निकायों के आवंटन में कमी हुई है लेकिन वर्तमान वर्ष 2013–14 में शहरी निकायों को पिछले 4 वर्षों में कर राजस्वों की तुलना में सर्वाधिक राशि आवंटन हुआ है।

राज्य के कुल राजस्व आय की तुलना में शहरी निकायों को राशि आवंटन पिछले 4 वर्षों में लगभग 2 से 4 प्रतिशत के बीच हुआ है। वर्ष 2010–11 में शहरी निकायों को कुल राजस्व आय का 3.08 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया। लेकिन वर्ष 2012 एवं 2013 मतलब पिछले दो वर्षो में कुल राजस्व आय की तुलना में शहरी निकायों को आवंटन में कमी हुई है। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में शहरी निकायों को बढ़ोतरी के साथ 3.23 प्रतिशत राशि आवंटित हुई है।

राज्य के कुल कर राजस्व आय की तुलना में शहरी निकायों को राशि आवंटन की दर पिछले 4 वर्षों में 3 से 5 प्रतिशत के बीच रही है। वर्ष 2010–11 में शहरी निकायों को कुल कर राजस्व आय की तुलना में 4.21 प्रतिशत तथा 2013–14 में 4.59 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया है। लेकिन ज्ञात रहे कि बीच के 2 वर्षों 2012 एवं 2013 में शहरी निकायों के आवंटन में कमी दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में शहरी निकायों को अब तक का सर्वाधिक 4.5 प्रतिशत आवंटन किया गया है।

राज्य की स्वयं के करों से आय तथा शहरी निकायों को आवंटित राशि की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010–11 में शहरी निकायों को, राज्य के स्वयं के करों से आय में से 6.81 प्रतिशत तथा 2013–14 में 7.33 प्रतिशत तक राशि आवंटन किया गया। लेकिन पिछले 2 वर्षों 2012 एवं 2013 में शहरी निकायों के आवंटन में डेढ़ से दो प्रतिशत की कमी देखने में आई है।

राज्य सरकार हांलाकि बजट पुस्तिका खण्ड़ 4 ब के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों को आवंटित राशि की जानकारी हर वर्ष उपलब्ध करवा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी निकायों के आवंटन की जानकारी में वांछित पारदर्शिता एवं स्पष्टता का अभाव है। अभी भी यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि शहरी निकायों को जो राशि राज्य बजट से जारी की जा रही है वही शहरी निकायों की कुल आवंटित राशि है या बजट मद के अतिरिक्त भी शहरी निकायों को अन्य किसी स्रोत से राशि प्राप्त होती है। राज्य बजट से शहरी निकायों को आंवटित राशि की जानकारी जिस विवरण/प्रारूप में दी जा रही है उसमें सरकार ने पिछले 3 वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया है। जबकि उस विवरण में बहुत खामियां स्पष्ट दिखाई देती हैं जिसके आधार पर केवल आधी अधूरी जानकारी ही आम जन तक पहुंच रही है।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते है। बजट समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

– बार्क टीम

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013

राज्य बजट को पारदर्शी बनाने के उपाय : बार्क द्वारा राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों हेतु सुझाव

राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार का कार्यकाल कुछ ही माह में पूर्ण होने जा रहा है तथा आने वाले कुछ महीने राजनैतिक एवं नीतिगत बदलाव तथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क), ने राज्य में होने वाले आगामी चुनावों को मध्यनजर रखते हुये 'राज्य बजट में पारदर्शिता' नाम से एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें राज्य बजट में पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित कुछ सुझाव एवं मांगों का जिक्र है। बार्क द्वारा यह मांग पत्र राज्य के सभी छोटे बड़े राजनैतिक दलों को प्रेषित किया जा रहा है, जिससे कि सभी राजनैतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इन मांगों को 'राज्य बजट में पारदर्शिता' नामक शीर्ष बनाकर सम्मिलित कर सकें। यदि ऐसा संभव हुआ तो राज्य सरकार आगामी वर्षों में बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आमजन को अधिकाधिक एवं स्पष्ट जानकारी देने के लिये जवाबदेह रहेगी।

चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित करने हेतु मांगें एवं सुझाव :

शीर्ष – राज्य बजट में पारदर्शिता –

- राज्य बजट की जानकारी मुख्यशीर्षवार के साथ प्रशासनिक विभागवार भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
- बजट घोषणाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी देने के लिये सी.एम.आई. एस. को आमजन के लिये खोला जायेगा।
- हर वर्ष पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा जिसमें सभी बजट घोषणाओं की वार्षिक प्रगति की जानकारी दी जायेगी
- राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की जायेगी तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जल्दी ही कानून बनाया जायेगा।
- राज्य बजट में पिछले वर्ष के 'जेण्डर बजट' के क्रियान्वयन की स्थिति भी स्पष्ट की जायेगी।
- जेण्डर बजट स्टेटमेंट विभागवार रूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा विभाग किन आधारों पर जेण्डर बजट तैयार करते हैं इसकी जानकारी जेण्डर बजट स्टेटमेंट के साथ शामिल की जायेगी।
- सरकार सभी विभागों का "परफोरमेंस एवं आउटकम बजट" बनवाना सुनिश्चित करेगी तथा विभाग उसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध रखेंगे।
- केन्द्र तथा विदेशी संस्थाओं से राज्य को विभिन्न योजनाओं हेतु मिले अनुदान/ऋण/सहायता के आवंटन एवं खर्च का पूरा विवरण राज्य बजट में सम्मिलित किया जायेगा।
- कर माफी से हो रहे नुकसान तथा विभिन्न कंपनियों/संस्थाओं से किये गए समझौतों की जानकारी सरकार बजट विवरण के साथ आम जन को देगी।
- बजट दस्तावेजों को आसानी से समझने योग्य बनाने के लिये अन्य राज्यों की तर्ज पर 'बजट दस्तावेजों की कुंजी' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया जायेगा।
- स्थानीय निकायों (शहरी तथा ग्रामीण) को आवंटित वार्षिक बजट के विरूद्ध खर्च की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई जायेगी।
- स्थानीय निकायों को आवंटित राशि में प्रत्येक ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका, नगर परिषद को आवंटित राशि की अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव, भूपेन्द्र कौशिक, गंगा शर्मा
सहयोग – सीताराम मीणा, अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....